

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052020-219405
CG-DL-E-16052020-219405

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1333]
No. 1333]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

का.आ. 1492(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मणिपुर राज्य के इम्फाल ईस्ट जिले में NH202 के कि.मी. 0 से कि.मी.1.3 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस काम्प्लेक्स, इम्फाल ईस्ट, पोरोम्पट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 5 सितम्बर, 2019 को "संगाई एक्सप्रेस" और "पोकनफम" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मणिपुर राज्य के इम्फाल ईस्ट जिले में NH202 के कि.मी. 0 से कि.मी.1.3 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस काम्प्लेक्स, इम्फाल ईस्ट, पोरोंम्पट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मणिपुर		जिले का नाम: इम्फाल ईस्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सवम्बुंग				
	गांव का नाम: लाइकोट				
1	1380	सरकारी (अन्तर विलेज रोड)	ड्राई	0.0311615	मणिपुर ()
2	1382	सरकारी	ड्राई	0.1804937	मणिपुर (१३८२)
3	1391	सरकारी(रोडसाइड)	ड्राई	0.1003642	मणिपुर (१३९१)
4	1733	निजी(फौरेल)	ड्राई	0.0141643	पाठ्यक्ला रुइव: S/O(L) लुंगडी रुइव: (१७३३)
5	1737	सरकारी	ड्राई	0.4237151	मणिपुर (१७३७)
6	1739	सरकारी	ड्राई	0.2294618	मणिपुर (१७३९)
7	1742	सरकारी	ड्राई	0.0129502	मणिपुर (१७४२)
8	1743	निजी(फौरेल)	ड्राई	0.0214488	सोमी कसार (१७४३)

9	1744	सरकारी	ड्राई	0.0161878	मणिपुर (१७४४)
10	1745	निजी(फौरेल)	ड्राई	0.0505868	हैखुटांग बैठे S/O(L) लेमतो बैठे (१७४५)
11	1746	सरकारी	ड्राई	0.0242817	मणिपुर (१७४६)
12	1748	सरकारी	ड्राई	0.0659652	मणिपुर (१७४८)
13	1749	सरकारी	ड्राई	0.0056657	मणिपुर (१७४९)
14	1750	सरकारी	ड्राई	0.0275192	मणिपुर (१७५०)
15	1753	सरकारी	ड्राई	0.1873735	मणिपुर (१७५३)
16	1754	निजी(फौरेल)	ड्राई	0.0141643	आरएम मैखल S/O(L) बर्लिन (१७५४)
17	1795	निजी(ईगखोल)	ड्राई	0.0072845	बैठे (१७९५)
18	1796	निजी(ईगखोल)	ड्राई	0.0174019	गोटीमायुं धीरेन ()
19	1797	निजी(ईगखोल)	ड्राई	0.0254958	हेलम हाओकिप (१७९७)
20	1798	निजी(फौरेल)	ड्राई	0.0631323	मालुंगरिन्ग तांगखुल (१७९८)
21	1801	सरकारी	ड्राई	0.0097127	मणिपुर (१८०१)
22	1808	निजी(ईगखोल)	ड्राई	0.0133549	सिखोलें तोउठंग (१८०८)
23	1809	निजी(ईगखोल)	ड्राई	0.0202347	रंजीत सिंह ()
24	1810	सरकारी	ड्राई	0.0157831	मणिपुर (१८१०)
			कुल	1.5779	

[फा. सं. NHIDCL/BO-IMPHAL/Y-U-J/DPR/2016-17/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2020

S.O. 1492(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH202 on the stretch of land from Km 0 to Km 1.3 (Deputy Commissioner Office Complex, Imphal East, Porompat) in the district of IMPHAL EAST in the state of MANIPUR

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Sangai Express” and “Poknapham” both dated 05th September, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority; And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government; Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH202 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 1.5 (Deputy Commissioner Office Complex, Imphal East, Porompat) in the district of IMPHAL EAST in the state of MANIPUR

State: MANIPUR District: IMPHAL EAST					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sawombung					
Village: Laikot					
1	1380	Government(inter village road)	dry	0.0311615	Government of manipur 1380
2	1382	Government	dry	0.1804937	Government of manipur 1382
3	1391	Government(roadside)	dry	0.1003642	Government of manipur 1391
4	1733	Private(Phourel)	dry	0.0141643	Pathyala Ruivah S/o (L) Lungrei Ruivah 1733
5	1737	Government	dry	0.4237151	Government of manipur 1737
6	1739	Government	dry	0.2294618	Government of manipur 1739
7	1742	Government	dry	0.0129502	Government of manipur 1742
8	1743	Private(Phourel)	dry	0.0214488	Somi Kasar 1743

9	1744	Government	dry	0.0161878	Government of manipur 1744
10	1745	Private(Phourel)	dry	0.0505868	Helkhuthang Baite S/o (L) Lemto Baite 1745
11	1746	Government	dry	0.0242817	Government of manipur 1746
12	1748	Government	dry	0.0659652	Government of manipur 1748
13	1749	Government	dry	0.0056657	Government of manipur 1749
14	1750	Government	dry	0.0275192	Government of manipur 1750
15	1753	Government	dry	0.1873735	Government of manipur 1753
16	1754	Private(Phourel)	dry	0.0141643	Arem Maikhal S/o (L) Barlen 1754
17	1795	Private(ingkhoh)	dry	0.0072845	Holjangam Baite 1795
18	1796	Private(ingkhoh)	dry	0.0174019	Gotimayum Dhiren Sharma 1796
19	1797	Private(ingkhoh)	dry	0.0254958	Helam Haokip 1797
20	1798	Private(Phourel)	dry	0.0631323	Malungring Tangkhul 1798
21	1801	Government	dry	0.0097127	Government of manipur 1801
22	1808	Private(ingkhoh)	dry	0.0133549	Seikhohen Touthang 1808
23	1809	Private(ingkhoh)	dry	0.0202347	Kh. Ranjit Singh 1809
24	1810	Government	dry	0.0157831	Government of manipur 1810
			TOTAL	1.5779037	

[F. No. NHIDCL/BO-IMPHAL/Y-U-J/DPR/2016-17/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.